(405) नि0 6017/2018/ अपील/भू-रा0 (281)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर, संभाग–ग्वालियर

श्रृंखला न्यायालय रीवा (म0प्र0)

श्रीकान्त द्विवेदी पिता वंश कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम–सोनवर्षा, तहसील–सिहावल, जिला–सीधी (म0प्र0) ————————–निगरानीकर्ता

बनाम

1. भगवानदास गुप्ता पिता छठिलाल गुप्ता
2. झिंगुरी पत्नी बसन्तलाल गुप्ता दोनो निवासी ग्राम–सोनवर्षा, तहसील–सिहावल जिला–सीधी (म0प्र0)
3. शासन, म0प्र0, ————————–गैर निगरानीकर्ता

अधि० श्रीरामकरण देव पाण्डेय द्वारा पेश / 03-10-18

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा के श्रृंखला न्यायालय सीधी (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक/ 1043 अपील 2017–18 मे पारित आदेश दिनांक 14.08.2018,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50,म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

(अ) यह कि निगरानीकर्ता द्वारा आराजी खसरा क्रमांक 910 व 892 स्थित ग्राम–सोनवर्षा, तहसील–सिहावल, जिला–सीधी (म0प्र0) में सरहद्दी काश्तकारों द्वारा विवाद उत्पन्न करनें पर सीमांकन का आवेदन–पत्र दिया गया था, उक्त सीमांकन प्रकरण क्रमांक 138/अ–12/2009–10 जिसकी पुष्टि दिनांक 26.05.2011 को की गयी, सीमांकन पश्चात गैर निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति किये जाने पर तहसीलदार सिहावल द्वारा राजस्व निरीक्षक को पुनः पैमाइश किये जाने का आदेश दिया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा पैमाइश करते हुये हल्का पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन को सही ठहराते हुये निगरानीकर्ता का निकार–निस्तार अवरूद्व होना व शासकीस हैण्डपम्प

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग./6017/म.प्र./2018 जिला– सीधी

श्रीकांत गुप्ता विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री राजकरण देव पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1043/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 14-8-18 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03-10-18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	